न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैतूल, जिला-बैतूल (म.प्र.) (समक्ष-विजयश्री राठौर)

> व्य.वाद प्र. कमांक 63'ए' / 2018 संस्थापन दिनांक :-01.03.2018

- शिवदायाल पाटिल पिता-श्री गोपाल पाटिल 1. आयु-50 वर्ष, निवासी-बुण्डाल , तहसील-बैतूल व- जिला-बैतूल, मध्यप्रदेश
- चन्नीलाल पिता-श्री उमराव, 2. आयू-34 वर्ष, निवासी-बुण्डाल, तहसील–व–जिला–बैतूल म०प्र०

वादी / आवेदक

विरुद्ध

- सरपंच ग्राम–पंचायत बुण्डला, तहसील-व-जिला-बैतूल म०प्र०
- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, बैतूल,—प्रतिवादीगण/अनावेदकगण

वादी द्वारा : श्री पुरूषोत्तम दीक्षत अधिवक्ता। प्रतिवादी कृमांक—1 द्वारा : श्री नरेश चन्द्र साहू अधिवक्ता।

।। <u>आदेश</u>।। (आज दिनांक-27 मार्च, 2018 को पारित)

- इस आदेश के द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.प्र.सी. आई.ए.नं. 2/18 का निराकरण किया जा रहा है।
- आवेदन में यह स्वीकृत तथ्य है कि ग्राम-कुण्डाला, जिला-बैतूल स्थित खसरा नंबर 98 रकबा 0.971 की भूमि पश्चातवर्ती प्रक्रम पर वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा) शासकीय

भूमि है।

आवेदन संक्षिप्तः इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के दादा रामलाल का पूर्व से अधिपत्य रहा है, जिनकी मृत्यु के पश्चात् वादी क्रमांक-1 के पिता गोपाल तथा वादी क्रमांक-2 के पिता उमराव का आधिपत्य रहा है। उमराव एंव गोपाल की मृत्यु के पश्चात् से वादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि पर निर्विरोध शांतिपूर्ण आधिपत्य चला आ रहा है। वादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य होकर गेंहू की फसल भी बोई गई है। वादग्रस्त भूमि आबादी की भूमि है तथा ग्राम-कुण्डाला को वादीगण के अधिपत्य की जानकारी रहीं है। प्रतिवादी क्रमांक-1 सरपंच ग्राम-पंचायत कुण्डाला द्वारा अपनी अधिकारिता का दुरूपयोग करते हुए बिना सम्यक प्रक्रिया किये बिना प्रस्ताव बिना मुनादी के व्यक्तिगत रूप से क्षति पहुँचाने की दृष्टि से सरपंच के द्व ारा वादीगण के आधिपत्य का भूखण्ड आवंटित कर दिया गया। वादीगण द्वारा उक्त तथ्य की जानकारी होने पर प्रतिवादी कमांक-1 से संपर्क किया, तो उसके द्वारा कोई संतोष जनक उत्तर नही दिया गया। इसके विपरीत अपने द्वारा की गयी प्रक्रिया को उचित बताया गया। आवंटन की प्रक्रिया के बावजूद वर्तमान में वादीगण आधिपत्य में है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य 65 वर्षो से निर्विरोध शांतिपूर्णरूप से शासन की ग्राम पंचायत कुण्डाला की जानकारी में रहते हुऐ तथा जनसामान्य की जानकारी में रहते हुए अबाधरूप से चला आ रहा है, जिस कारण वादीगण का उक्त दाविया भूमि पर स्वत्व उत्पन्न हो चुका है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के आधिपत्य में हस्ताक्षेप किया गया अथवा उन्हे बैदखल किया गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रतिवादीगण द्वारा बिना किसी सम्यक प्रक्रिया के दाविया भूमि का आवंटन किया गया तो वाद का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा। अतः वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के 🗇 विरूद्ध किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करने संबंधि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रश्न करने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादी क्रमांक-1 सरपंच ग्राम-बुण्डाला द्वारा आवेदन में वर्णित समस्त तथ्यों का निविर्दिष्ट प्रत्याखान कर जवाब प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व से ही शासकीय भूमि है, जो पहले वन विभाग के आधिपत्य में खसरा नंबर 60 / 1 छोटे झाड़ के जंगल के रूप में दर्ज रही, जिसके संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही कर वन विभाग की भूमि का परिवर्तित कर आबादी भूमि खसरा नंबर 48 में प्रतिस्थापित की गयी, जिसे शासन द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत आवंटित की जा रही है। ग्राम पंचायत बुण्डाला के वर्तमान सरपंच द्वारा ग्राम विकास योजना के तहत प्रधान मंत्री आवास योजना के अनुसार विधिवत कार्यवाही का ग्राम के हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त कर शासन के आदेश अनुसार वादग्रस्त भूमि के रकबे में से भूखण्ड आवंटित किए गए है। वादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत की शासकीय भूमि है, जिसमें ग्रम वासियों एंव ग्राम पंचायत का हित निहित है। अतः आवेदक सव्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

- 5— अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन का निराकरण करने हेतु न्यायालय द्वारा प्रमुखतः निम्न बिन्दुओ पर विचार किया जाना आवश्यक है :—
 - अ) क्या प्रथम दृष्टया वाद वादी के पक्ष में है?
 - ब) क्या अपूर्णीय क्षिति का सिद्धान्त वादी के पक्ष में है?
 - स) क्या सुविधा का संतुलन का सिद्धान्त वादी के पक्ष में है?

~सकारण निष्कर्ष~ विचारणीय बिन्दु कमांक—1

- 6— सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या प्रथमदृष्टया वाद वादी के पक्ष में हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये आवेदक का प्रथमदृष्टया मामला ऐसा स्थापित होना चाहिए जिसमें जांच के लिए एक विचारणीय प्रश्न निहित हो जो साक्ष्य को लेकर ही तय हो सकता है और उसमें आवेदक के विजयी होने की प्रबल संभावना हो।
- 7— वादी द्वारा अपने समर्थन में वर्ष 2017—18 का खसरा नंबर 0.328, किश्तबंदी 84/8, 97/8, खसरा नंबर 97@1 का नक्शा दिनांक 19.12.2018, खसरा नंबर 98 का नक्शा दिनांक 19.12.2018, खसरा नंबर 97 का नक्शा दिनांक 19.12.2018, एंव शिवदयाल, गोपाल पाटिल का शपथ पत्र पेश किये है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने समर्थन में पटवारी का प्रतिवेदन दिनांक 14.03.2018, पंचनामा दिनांक 14.03.2018, खसरा की नकल दिनांक 28.02.2018, खसरा नंबर 98 का नक्शा दिनांक 28.02.2018, शासन का आदेश ग्राम सूचि सहित दिनांक 09.02.2018, हित ग्राहियो की सूचि दिनांक 09.02.2018, पंचनाम दिनांक 08.02.2018, पंचनामा दिनांक 12.02.2018, प्रस्ताव पंजी दिनांक 04.10. 2017 के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।
- 8— वादीगण द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर उनका आधिपत्य 65 वर्षों से निर्विरोध शांतिपूर्णरूप से शासन की xzke पंचायत कुण्डाला की जानकारी में रहते हुए अबाधरूप से चला आ रहा है, जिस कारण वादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व उत्पन्न हो चुका है। वादीगण द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी क्रमांक—1 सरपंच ग्राम—पंचायत कुण्डाला द्वारा अपनी अधिकारिता का दुरूपयोग करते हुए बिना सम्यक प्रक्रिया किये बिना प्रस्ताव बिना मुनादी के व्यक्तिगत रूप से क्षति पहुचाने की दृष्टि से सरपंच के द्वारा वादीगण के आधिपत्य का भूखण्ड आवंटित कर दिया गया। आवंटन की प्रक्रिया के बावजूद वर्तमान में वादीगण आधिपत्य में है।

9— प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि से सबंधित राजस्व अभिलेख के अवलोकन से दर्शित है कि वादग्रस्त भूमि शासकीय मद की भूमि होना दर्शित है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का 65 वर्षों से निर्विरोध शांतिपूर्णरूप आधिपत्य होने के आधार पर स्वत्व प्राप्त हो चुका है या नहीं, यह साक्ष्य का विषय है जिसे गुण—दोष के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। इसका निराकरण इस प्रक्रम पर नहीं किया जा सकता है। धारा 57 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता के अनुसार ऐसी समस्त भूमियों पर राज्य शासन का स्वामित्व होता है। वादीगण द्वारा स्वयं वादग्रस्त भूमि, जो कि शासकीय मद की भूमि है, पर काबिज होने का कथन किया है।

10— माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यादृष्टांत कमलिसंग विरुद्ध जयराम सिंग, 1986 (1) एम.पीकृडब्ल्यू.एन 116 में अवधारित किया गया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा केवल आधिपत्य के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिये अन्यथा शक्ति के बल पर संपत्ति पर कब्जा करने वाले व्यक्ति इसका लाभ लेगें। आधिपत्य ऐसा होनाा चाहिये जिसकी कुछ विद्यिक मान्यता हो। अस्थाई निषेधाज्ञा एक साम्यपूर्ण अनुतोष है जिसे पाने वाले व्यक्ति को स्वच्छ हाथों से न्यायालय में आना चाहिये, ऐसी दशा में जहां वादी का वादग्रस्त भूमि पर वैध आधिपत्य होना दर्शित ही नहीं है, ऐसी दशा में उसके आधिपत्य को संरक्षित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

11— अतः प्रथमदृष्टयां यह दर्शित नहीं है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का निर्विवादित, शांतिपूवर्क आधिपत्य होने से स्वत्व परिपक्व हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया वादी के पक्ष में नही पाया जाता है।

विचारणीय बिन्दु कमांक-2

12— अपूर्णीय क्षित से तात्प्यं है कि ऐसी क्षिति जो अवैध कृत का परिणाम हो तथा जिसे धन से नही तौल जा सकता हो। जहाँ वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व होना प्रथम दृष्टाया दर्शित नही है ऐसी स्थिति में उन्हे अपूर्णीय क्षिति कारित होने का प्रश्न ही नही है।

विचारणीय बिन्दु कमांक-3

13— निषेधाज्ञा देने या ना देने से किस पक्ष को तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा होगी यह देखना होता है, जिसे सुविधा का सतुलन कहते है। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व एंव वैध आधिपत्य वादी का होना प्रथम दृष्टया दर्शित नहीं है, ऐसी स्थिति

में यदि निषेधाज्ञा दी जाती है तो वादीगण को प्रतिवादीगण से अधिक असुविधा नही होगी। अतः सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में नही पाया जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का 14-संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गतआदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.प्र.सी. आई.ए.नं. 2/18 निरस्त किया जाता है। 🗍 🕖

आवेदन पत्र के व्यय का निराकरण प्रकरण के अंतिम निराकरण पर किया 15— जावेगा।

निर्देश पर टंकित।

स्थान-बैतुल **दिनांक**—27 मार्च, 2018

(विजयश्री राठौर) ्रप्रथम व्यवहार न्याया.वर्ग–2, बैतूल, मध्यप्रदेश

